

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2003

(आयकर)

का.आ. 576(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (इसके बाद से अधिनियम के रूप में संदर्भित) सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह निर्देश देती है कि कोई भी जन-सेवक किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज अथवा रिकार्ड अथवा कोई सूचना अथवा कम्प्यूटरीकृत आंकड़े अथवा इसके किसी अंश को प्रस्तुत नहीं करेगा जो सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान उनके अधिकार में आती है :

बशर्ते कि इसके पहले इसमें उल्लिखित कुछ भी लागू नहीं होगा :—

- (i) आयकर कर निर्धारितियों से संबंधित स्थाई लेखा क्रमांक, कर कटौती लेखा क्रमांक आबंटन और आयकर रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण के संबंध में सूचना (ऐसे दस्तावेज अथवा रिकार्ड को प्रस्तुत करने अथवा कम्प्यूटरीकृत आंकड़े उपलब्ध कराने सहित) को किसी ऐसे व्यक्ति अथवा अधिकरण को प्रकट करना जिसका निर्णय आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार निश्चित किया जा सकता है ;
- (ii) समय-समय पर धारा 138 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार किसी भी सूचना को प्रकट करना ।

[अधिसूचना सं. 137/2003/फा. सं. 225/21/2003/आई.टी.ए.-II]

संगीता गुप्ता, निदेशक (आई टी ए-II) .